



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2016/भाद्र 5, 1938

No. 592]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2016/BHADRA 5, 1938

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 826(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में,

(क) क्रम संख्या 2 में, अनुभाग अधिकारी पद के सामने, स्तंभ संख्या (12) में 'प्रोन्नति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़िडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

(i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

(ii) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

(iii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो”;

(ख) क्रम संख्या 3 में, निजी सचिव पद के सामने स्तंभ संख्या 12 में, 'प्रोन्नति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

(i) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

(ii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो”;

(ग) क्रम संख्या 6 में, सहायक इंजीनियर (विद्युत) पद के सामने, स्तंभ संख्या 12 में, 'प्रोन्नति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

(i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

(ii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

**टिप्पण 04 :** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो”;

- (घ) क्रम संख्या 8 में, ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक पद के सामने, सतंभ संख्या 12 में, 'प्रोन्नति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (ii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

**टिप्पण 04 :** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो”;

- (ड) क्रम संख्या 10 में, सहायक सुरक्षा अधिकारी पद के सामने, स्तंभ संख्या 12 में, 'प्रोन्नति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (ii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो”;

(च) क्रम संख्या 11 में, सहायक पद के सामने, स्तंभ संख्या 12 में, 'प्रोन्नति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़िडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

(i) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

(ii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो”;

(छ) क्रम संख्या 12 में, व्यक्ति सहायक पद के सामने, स्तंभ संख्या 12 में, 'प्रोन्नति' उपशीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़िडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

(i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

(ii) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

(iii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो”.

[फा. सं. 1(7)/2015-कार्मिक-III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. 32 (अ) तारीख 14 जनवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :

- (i) सा.का.नि. 75 (अ) तारीख 11 फरवरी, 2010;
- (ii) सा.का.नि. 644 (अ) तारीख 23 जुलाई, 2010;
- (iii) सा.का.नि. 32 (अ) तारीख 13 जनवरी, 2011;
- (iv) सा.का.नि. 891 (अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2011;
- (v) सा.का.नि. 337 (अ) तारीख 7 मई, 2012;
- (vi) सा.का.नि. 492 (अ) तारीख 20 जून, 2010;
- (vii) सा.का.नि. 871 (अ) तारीख 2 दिसम्बर, 2014 ।

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2016

**G.S.R. 826(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2009, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology (Group ‘B’ posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2009,-

(a) in serial number 2, against the post of Section Officer, in column number 12, under the sub-heading ‘Promotion’, after Note 2, the following shall be inserted, namely:-

*“Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment, shall be as under,-*

- (i) *in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;*
- (ii) *in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;*
- (iii) *in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:*

*Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.*

*Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”;*

- (b) in serial number 3, against the post of Private Secretary, in column number 12, under the heading ‘Promotion’, after Note 2, the following shall be inserted, namely:-

*“Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment shall be as under,-*

- (i) *in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;*
- (ii) *in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:*

*Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i) and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.*

*Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”;*

- (c) in serial number 6, against the post of Assistant Engineer (Electrical), in column number 12, under the sub-heading ‘Promotion’, after Note 2, the following shall be inserted, namely:-

*“Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment shall be as under,-*

- (i) *in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;*
- (ii) *in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:*

*Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i) and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.*

*Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”;*

- (d) in serial number 8, against the post of **Senior Hindi Translator**, in column number 12, under the sub-heading ‘Promotion’, after Note 2, the following shall be inserted, namely:-

*“Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment shall be as under,-*

- (i) *in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;*
- (ii) *in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:*

*Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i) and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.*

*Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”;*

- (e) in serial number 10, against the post of Assistant Security Officer, in column number 12, under the sub-heading ‘Promotion’, after Note 2, the following shall be inserted, namely:-

*“Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment shall be as under,-*

- (i) *in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;*
- (ii) *in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:*

*Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i) and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.*

*Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”;*

- (f) in serial number 11, against the post of Assistant, in column number 12, under the sub-heading ‘Promotion’, after Note 2, the following shall be inserted, namely:-

*“Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment shall be as under,-*

- (i) *in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;*
- (ii) *in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:*

*Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i) and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.*

*Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. ”;*

- (g) in serial number 12, against the post of Personal Assistant, in column number 12, under the heading ‘Promotion’, after Note 2, the following shall be inserted, namely:-

*“Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1<sup>st</sup> day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment shall be as under,-*

- (i) *in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;*
- (ii) *in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;*
- (iii) *in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:*

*Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.*

*Note 4: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. ”*

[F. No. 1 (7)/2015-P.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 32 (E), dated the 14<sup>th</sup> January, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) G.S.R. 75(E), dated 11<sup>th</sup> February, 2010;
- (ii) G.S.R. 644(E), dated 23<sup>rd</sup> July, 2010;
- (iii) G.S.R. 32(E), dated 13<sup>th</sup> January, 2011.
- (iv) G.S.R. 891(E), dated 21<sup>st</sup> December, 2011;
- (v) G.S.R. 337(E), dated 7<sup>th</sup> May, 2012;
- (vi) G.S.R. 492 (E), dated 20<sup>th</sup> June, 2010;
- (vii) G.S.R. 871(E), dated 2<sup>nd</sup> December, 2014.

RAJ  
KUMAR

Digitally signed  
by RAJ KUMAR  
Date:  
2016.08.29  
21:04:21  
+05'30'